INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

411033

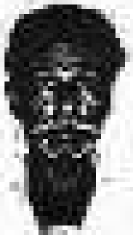

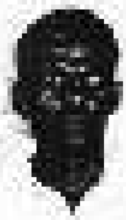

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: लखनऊ
3.	मोहल्ला/ग्राम	: [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का नम्बर)	: खसरा नं0 742 मि0 व 742
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.4[illegible] हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	: सुल्तानपुर रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

भारत INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 411034

-2-

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं है।
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ भी नहीं है।
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 9,08,790/-
11.	मालियत	:	रु0 7,29,750/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 98,000/-

<u>चौहद्दी खसरा संख्या-742</u>

पूरब : खसरा संख्या-738, 739

पश्चिम : खसरा संख्या-915

उत्तर : खसरा संख्या-733, 734, 735, 736

दक्षिण : खसरा संख्या-810, 807, 806

INDIA NON JUDICIAL

[illegible]

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
प्रेम चन्द्र पुत्र दुलारे निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि		शिव विशाल पुत्र श्री [illegible], निवासी– मिर्जापुर, [illegible], पोस्ट–[illegible], जिला–फतेहपुर, 2000। व्यवसाय – कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख प्रेम चन्द्र पुत्र दुलारे निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

है. एम्. शिव विशाल पुत्र श्री शिवराम, निवासी– मिर्जापुर, सिलारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता स्वामित्व खाता खतौनी ग्राम संख्या–30497 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या–742मि0 रकबा 0.3540 हेक्टेअर व खसरा संख्या–742 रकबा 0.0630 हेक्टेअर कुल 2 किता व कुल रकबा 0.4170 हेक्टेअर, है जो कि ग्राम– अहमदगंज परगना, तहसील व जिला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH K 278763

लखनऊ में स्थित है, का मालिक, काबिज व काबिज है। अद्यावधिक खतौनी संख्या-00497 फसली वर्ष 1409 से 1414 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 1384 फसली है, अर्थात विक्रेता का पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेता को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया है। उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 278784

विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व मालिक है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कोई अड़चन है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 278785

विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है. एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 9,88,790/- (रुपया नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ नब्बे मात्र) के प्रतिफल में विक्रय की उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित रीति के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 197281

शिव विशाल पुत्र श्री शिवराम, निवासी– मिर्जापुर, सिठारी, पोस्ट–नवगाव, जिला फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बजाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निगाहदारान इत्यादि के कब्जे या अधिकार या लाभ से निकल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उक्त स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमदगढ़ अर्धनगरीय क्षेत्र में अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि 0.417 हेक्टेअर की मालियत रू0 7,29,750/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 248232

से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 98,000/- जनाचल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 248233

इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00497 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या–742मि/3 रकबा 0.3540 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 248234

व खसरा संख्या–742 रकबा 0.0630 हेक्टेअर कुल 2 किता व कुल रकबा 0.4170 हेक्टेअर, है जो कि ग्राम– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रु0 4,94,395/– (रुपया चार लाख चौरानबे हजार तीन सौ पच्चानबे मात्र) द्वारा चेक संख्या–413554 दिनांकित 09.03.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा– हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22 MAY 2007

विक्रेता को रु0 4,94,395/- (रुपया चार लाख चौरानबे हजार तीन सौ पंचानबे मात्र) द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 23.05.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा- हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 9,88,790/- (रुपया नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ नब्बे मात्र) विक्रेता ने क्रेता से,

विक्रय पत्र

[illegible]	750,000.00	3,000.00	20	3,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/5/2007 समय [illegible] PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

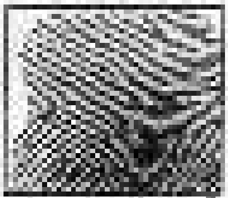

राकेश शुक्ला
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
23/5/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

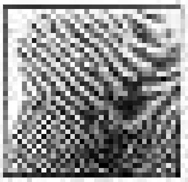

क्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

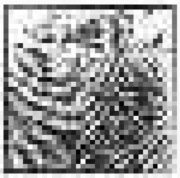

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा वकालत

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने की।

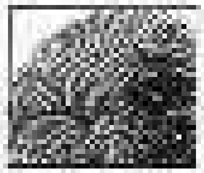

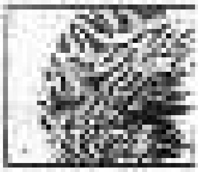

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

राकेश शुक्ला
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
23/5/2007

प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोट : पृष्ठ संख्या–15 पर चेक संख्यायें पेन से लिखी हैं।

लखनऊ

दिनांक: 23.03.2007

गवाह

1.

टाईपकर्ता

(रामू सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(मयंक श्रीवास्तव)

एडवोकेट

[illegible]

Year [illegible] Book No.

Registration No [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

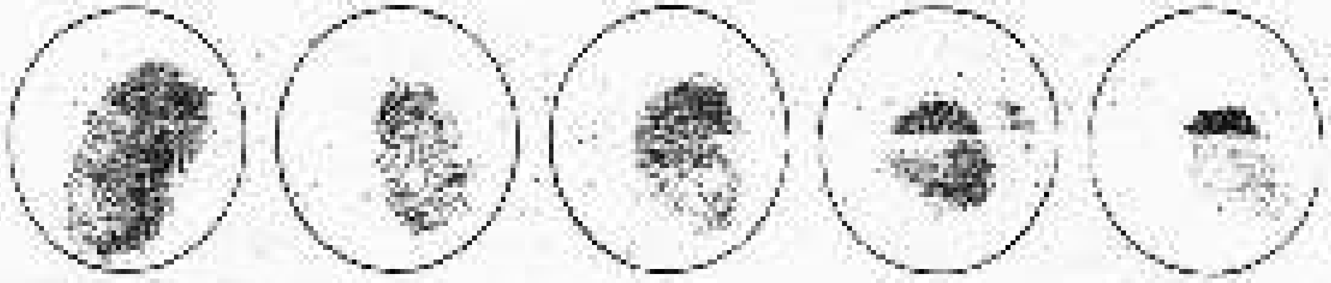

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

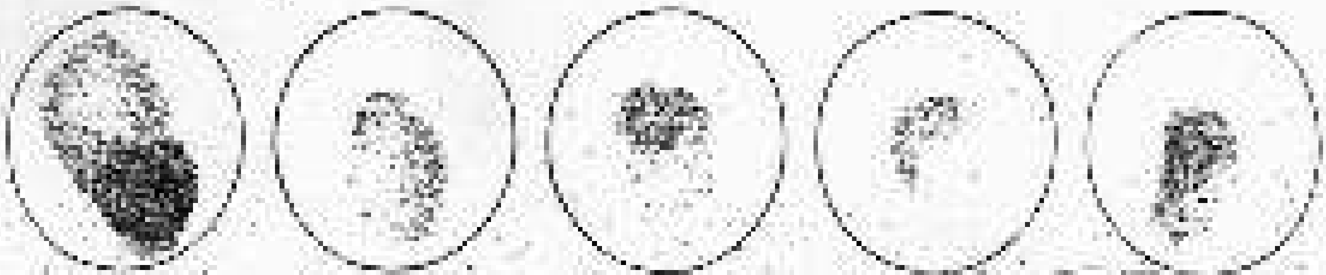

[illegible]

क्रेता/विक्रेता/गवाह के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

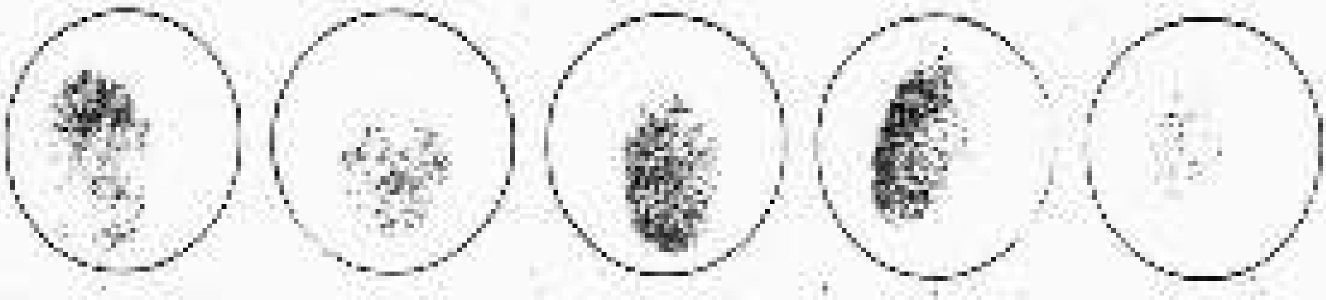

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता [illegible] हस्ताक्षर

Registration No. [illegible] Year: 2007 Book No. [illegible]

[illegible] [illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या- [illegible]

जिला : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

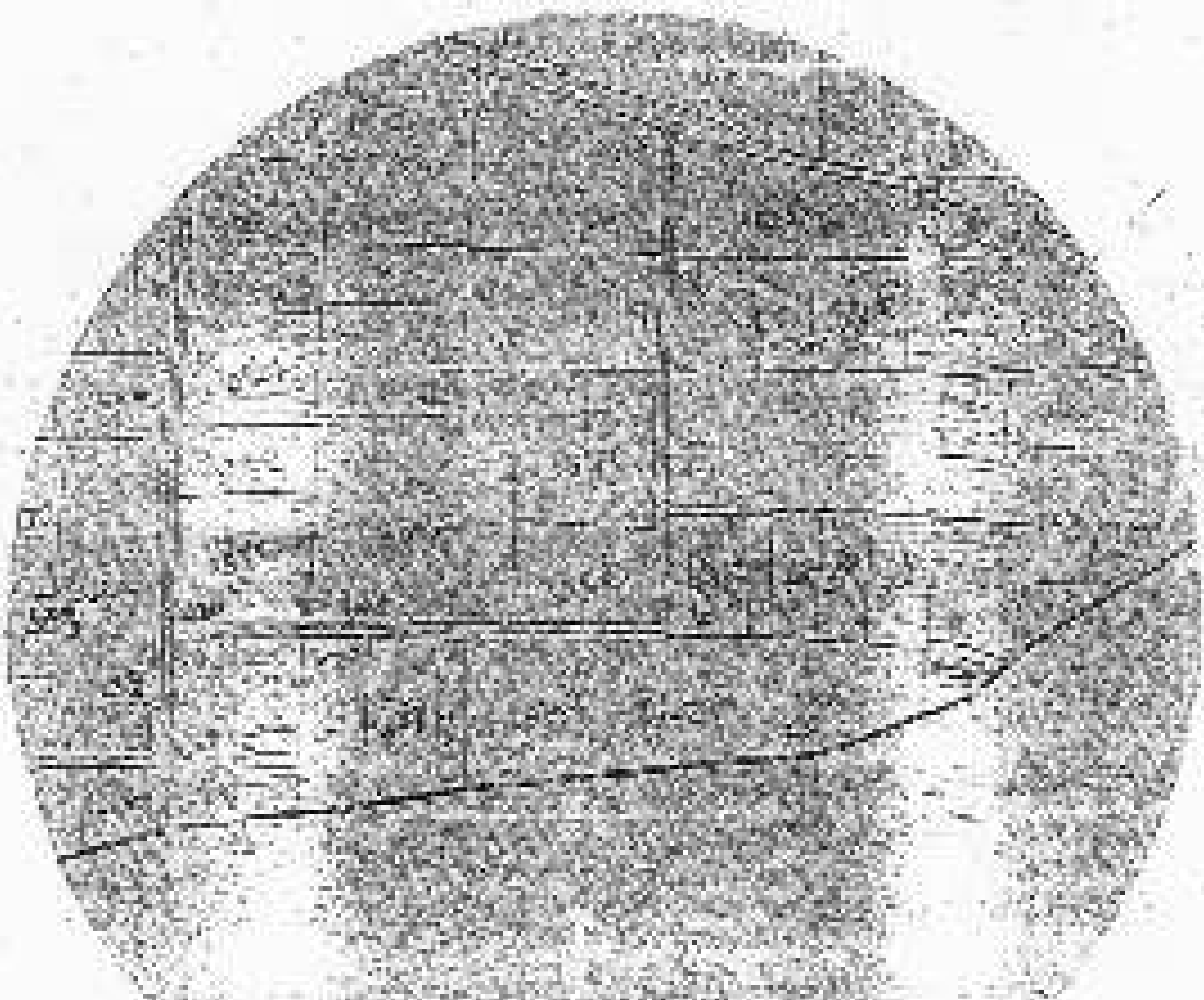

[illegible]

[illegible]

आज दिनांक 23/05/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6651

पृष्ठ सं 173 से 208 पर क्रमांक 5110

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

राकेश शुक्ला
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
23/5/2007